

## मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1996 सत्र

**दैनिक कार्य-सूची** (लंबक) ३२१

सोमवार, दिनांक १ सितम्बर, १९९६ (माह १८, १९१८)

समय १०.३० बजे दिन १९ जानूर्षी) ३९९९

१. प्रश्नोत्तर.

**पथकतः** विवरित सची में समिलित प्रश्न पछे जाखेंगे तथा उनके उत्तर दिये जाखेंगे।

સાચ ગુપ્ત પત્રને આ (3978 ફિલે) એ કાર્યક્રમ ૩૯૭૯ (કાર્યક્રમ અધ્યક્ષ) ક્રાંતિકાની

## २. पत्तें का पटल पर रखा जाना।

श्री रमेश प्रसाद शुक्ल, विधि और विधायी कार्य मंत्री, विधिक सेवा प्राधिकरण

अधिनियम, १९८७ (क्रमांक ३९ सन् १९८७) की धारा ३० की उपधारा (२) की अपेक्षानुसार

विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. १७ (ई)-१४१-९५-इकीस-ब (दो)-दिनांक २४ जून, १९९६ पटल पर रखेंगे।

३. नियम १३८ (१) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(१) सर्वश्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, प्रेमनारायण शर्मा, सदस्य, भारी वर्षा से हलाली व सहायक नदियों में आई बाढ़ से हड्डि क्षति की ओर उप मरुषमंत्री (गुजरात) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(२) डॉ. गोरीशंकर शेजवार, श्री भवंतरसिंह शेखावत, सदस्य, सीहोर जिले के आष्टा क्षेत्र में कुत्ते के काटने से हुई अनेक लोगों की मौत की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

#### ४. अनुपस्थिति की अनुज्ञा.

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक १८६-मंडला से निर्वाचित सदस्य, श्री छोटेलाल उड़िके को विधान सभा के अगस्त-सितम्बर, १९९६ सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनज्ञा।

५. लोक स्वास्थ्य योग्यताकी मंदी का व्यवहार.

श्री हरकंश सिंह, लोक स्वास्थ्य योग्यताकी मंत्री, दिनांक १ मार्च, १९९६ को पूछे गये अतार्थकित प्रश्न संख्या ३९ (क्रमांक २६८६) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे।

६. नियम १०१ (२) के अधीन अध्यादेश के संबंध में विवरण का पटल पर रखा जाना।

श्री रत्नेश स्टॉलोमन, श्रम मंत्री, सभा के समक्ष लम्बित मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, १९९६ (क्रमांक १२ सन् १९९६) के स्थान पर मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, १९९६ (क्रमांक १ सन् १९९६) के द्वारा विधान बनाये जाने के कारणों के संबंध में विवरण पटल पर रखेंगे।

## ७. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(१) श्री रवेश सॉलोमन, श्रम मंत्री, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, १९९६ (क्रमांक १९ सन् १९९६) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(२) श्री रविन्द्र चौधेरी, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९९६ (क्रमांक २० सन् १९९६) के पुरुषस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरुषस्थापित करेंगे।

(३) श्री रविन्द्र चौधेरी, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९९६ (क्रमांक १८ सन् १९९६) पर विचार किया जाय।

४५ मिनिट

४५ मिनिट उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

प्रदेश में विद्युत उत्पादन में कमी के कारण आपूर्ति प्रभावित होने, विद्युत शुल्क में वृद्धि एवं विद्युत कनेक्शन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री रामलखन शर्मा, बच्चन नायक, सुरेन्द्र वर्मा, गिरिराज मण्डलोई, नेमीचन्द जैन, घनश्याम पाटीदार, गौरीशंकर बिसेन, लक्ष्मीकृष्ण शर्मा, डॉ. रमन सिंह, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रेमप्रकाश पाण्डेय, रघुनन्दन शर्मा, डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री छत्रपति सिंह, रामलखन सिंह (त्योथर), एवं सोबरन सिंह मावई, सदस्यगण चर्चा उठायेंगे।

अशोक चतुर्वेदी

निवारण की शिक्षा लाभ खोपाल, गुजरात राज्यवाली विद्यालय में प्रश्नों-१२९ संस्कृत विभाग सचिव,  
दिनांक ८ सितम्बर, १९९६। इसकी अधिकारी विद्यालय नियंत्रण मंत्री मध्यप्रदेश विधान सभा।